

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/नि.प्र/नि.2/982/शिक्षक भर्ती/लेवल-2/

दिनांक:- 05.08.18

सूचना

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय के 28000 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 31.07.2018 को पदवार विज्ञापितियां जारी की गई हैं। इस भर्ती अन्तर्गत दिनांक 05.08.2018 से 25.08.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदनकर्ता निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर आवेदन करें:-

1. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद एप्लीकेशन आई डी प्राप्त होने के बाद ही आवेदन जमा किया हुआ माना जायेगा।
3. विस्तृत विज्ञापित व पंचायती राज नियमों का पूर्ण अवलोकन व अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें।
4. जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, स्नातक में वैकल्पिक (Optional) विषय के रूप में होना अनिवार्य है (इस हेतु विज्ञापित के बिन्दु संख्या 9.1(B) का अध्ययन करें। आरटेक/रीट में भी संबंधित विषय वर्ग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
5. आरटेक/रीट में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक होना अनिवार्य है, केवल TSP क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 36 प्रतिशत अंक होने की छूट है लेकिन इस वर्ग को आरटेक 2011 हेतु छूट नहीं है।
6. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में आरटेक/रीट के रोल नंबर ही भरें व लेवल द्वितीय के ही प्राप्तांक भरने हैं। आरटेक/रीट के पूर्णांक 150 निर्धारित है यदि किसी आवेदक के द्वारा आरटेक/रीट के रोल नंबर, प्राप्तांक गलत भरें जायेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
7. स्नातक के कुल पूर्णांक व प्राप्तांक भरने हैं, किसी एक विषय के अंक नहीं भरने हैं यदि स्नातक के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में Additional उत्तीर्ण किया हुआ है, तो ऑनलाइन आवेदन में संबंधित स्थान पर Additional के पूर्णांक एवं प्राप्तांक भरें। Additional के प्राप्तांक व पूर्णांक अलग से ही भरें।
8. ऑन लाईन आवेदन में स्नातक, आरटेक/रीट एवं एडिशनल उत्तीर्ण होने पर एडिशनल की अंकतालिकाओं पर हस्ताक्षर कर अपलोड की जाये। रीट 2017 लेवल द्वितीय का प्रमाण पत्र अप्राप्त होने की स्थिति में बोर्ड की वेबसाईट से अंक तालिका डाउनलोड कर स्वयं प्रमाणित अंक तालिका अंक तालिका अपलोड की जावें।
9. आवेदक ई मित्र क्रियोस्क पर निर्भर नहीं रहे प्रत्येक प्रविष्टि की स्वयं जांच करें, एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा व इस हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
10. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के निवासी चाहे वह किसी भी जाति/वर्ग का हो सामान्य अभ्यर्थी के रूप में ही आवेदन करेंगे।
11. आरक्षित वर्ग (ओबीसी/एमबीसी/एससी/एसटी) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनके नाम के आगे पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अनुसूचित क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है अतः अनुसूचित क्षेत्र में उक्त वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करें।
13. विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित दिनांक तक का संबंधित प्रमाण-पत्र (पति की मृत्यु/विवाह विच्छिन की डिक्री) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में केवल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी ही पात्र होंगे। इस हेतु विस्तृत विज्ञापित की बिन्दु संख्या 11.2(ii)ख का अवलोकन करें।
15. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना ही आवेदन कर दें। आवेदन का प्रिन्ट सुरक्षित रखें ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में FAQ का अध्ययन करें।
16. ऑनलाइन आवेदन में जान बुझकर गलत सूचना भरें जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी व राज्य सरकार की नई भर्तियों से वंचित (DEBAR) किया जा सकता है।


10-8-18

उप निदेशक(पं.राज.)

प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर